प्रशासकीय आदेश संख्या : 25 / 2024, (जौनपुर जजशिप)

दिनांक : जनवरी 09 , 2024 ई0

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–3551 / V-CPC/e-Courts दिनांकित 05.01. 2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.11.2023 के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालयों में अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) के गठन हेतु जनपद न्यायाधीश को निर्देशित किया गया है। समिति के सदस्य 01 अपर जिला जज, 01 उप न्यायाधीश, 01 अधिवक्ता (अधिमानता विकलॉग व्यक्ति), 01 कोर्ट मैनेजर, 01 डी0एस0ए0 होगें।

अतएव माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

क.सं.	नाम व पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री मौ0 शारिक सिद्दीकी, अपर जिला जज, चतुर्थ, जौनपुर।	अध्यक्ष
2	श्री विवेक विक्रम, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, जौनपुर।	सदस्य
3	श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर, जनपद न्यायालय, जौनपुर।	सदस्य
4	श्री श्यामलाल सरोज, डी0एस0ए0, जनपद न्यायालय, जौनपुर।	सदस्य
5	श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, जौनपुर।	सदस्य

समिति को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः तद्नुसार सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

Vani Ranjan
(वाणी रंजन अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश 9.1.24
जौनपुर।

सेवामें,

1. श्री विवेक विक्रम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, (सदस्य)
2. श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर (सदस्य)
3. श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव,एडवोकेट (सदस्य)

विषय— **अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) की बैठक के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05-01-2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र दिनांकित 06.11.2023 का उल्लेख करते हुये निर्देशित किया है कि प्रत्येक जिला न्यायालयों में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का गठन किया जाना है जिसके अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने प्रशासकीय आदेश संख्या–25/2024, दिनांकित 09. 01.2024 के द्वारा मेरी अध्यक्षता में कमेटी का गठन करते हुये आप को भी सदस्य के रूप में नामित करते हुये उक्त समिति को निर्देशित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जावे।

इस सम्बन्ध में उक्त मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने के लिये विचार विमर्श हेतु आज दिनांक 18.01.2024 को मेरे विश्राम–कक्ष में समय 1.30 बजे उक्त समिति की बैठक आहूत की गयी है जिसमें आप समय से उपस्थित होने का कष्ट करें।

बैठक में श्यामलाल सरोज,डी.एस.ए. सदस्य के रूप में स्वयं उपस्थित हों तथा अपने स्तर से अन्य सदस्यों को भी सूचित करें।

दिनांकः 18.01.2024 ई0।

(**मो0 शारिक सिद्दीकी**),
अपर जिला जज द्वितीय/
अध्यक्ष,
अभिगम्यता समिति
(Accessibility Committee)
जौनपुर।

Recd

केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग

जनपद न्यायालय, जौनपुर।

अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) की बैठक का वृत्तांश

आज दिनांक 18.01.2024 को जनपद न्यायालय, जौनपुर में गठित की गयी अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) की बैठक मेरी अध्यक्षता में मेरे विश्राम–कक्ष में आहूत की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त समिति के सदस्यगण श्री विवेक विक्रम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर श्री श्याम लाल सरोज,डी.एस.ए. तथा श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव,एडवोकेट उपस्थित रहे। उक्त बैठक में सभी सदस्यों द्वारा अपने–अपने सुझाव दिये गये एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये दिशा निर्देशों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। समिति की बैठक में समेकित रूप से निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

1. समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का एक ई–मेल पता (E-Mail Address) तैयार किया जावे जिसे जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर विस्तृत रूप से प्रचारित/प्रसारित किया जाये जिससे असक्षम अधिवक्ता/वादकारी/न्यायिक अधिकारी फाईलिंग हेतु ई–मेल के माध्यम से कमेटी को अपना अनुरोध कर सके जिसके सत्यापन के उपरान्त अभिगम्यता समिति ई–फाईलिग हेतु सुविधा प्रदान कर सके।

2. माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में असक्षम अधिवक्तागण की एक सूची (Database) तैयार करने हेतु अध्यक्ष/मन्त्री, दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर एवं जनपद के समस्त ग्राम न्यायालयों को पत्र लिखा जाय।

3. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि केवल असक्षम अधिवक्ता ही स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/लिपिक के द्वारा ई–फाईलिंग की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। हर किसी को इस सुविधा के प्रयोग का लाभ नहीं दिया जा सकता।

4. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्तारित हों तथा केवल एवं ई–स्टाम्प का ही प्रयोग किया जा सकेगा।

5. अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) प्रत्येक त्रैमासिक आधार पर यह प्रकाशन करेगी कि कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा उसमें कितने निस्तारित किये गये।

6. अभिगम्य दस्तावेज (Accessible Documents) की जॉच करने एवं वादकारियों की समस्या के निराकरण/सहयोग करने हेतु एस0ए0 एवं डी0एस0ए0 का आपेक्षित सहयोग लिया जाय।

7. समिति के अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों के नाम/मोबाईल नम्बर/ई–मेल पता जनपद न्यायालय, जौनपुर की वेबसाईट पर प्रसारित किये जायें।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी विन्दु पर विचार विमर्श नहीं किया गया तथा बैठक अग्रिम तिथि के लिये स्थगित की गयी।

18/01/24

(**विवेक विक्रम**),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/ **सदस्य**,
अभिगम्यता समिति
(Accessibility Committee)
जौनपुर।

18/01/2024

(**मौ0 शारिक सिद्दीकी**),
अपर जिल जज द्वितीय/**अध्यक्ष**,
अभिगम्यता समिति
(Accessibility Committee)
जौनपुर।

18.01.24

(**अमिताभ श्रीवास्तव**),
कोर्ट मैनेजर/सदस्य,
अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee)
जौनपुर।

18.1.24

(**श्याम लाल सरोज**),
डी0 एस0 ए0/सदस्य,
अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee)
जौनपुर।

18/1/24

(**गिरीश कुमार श्रीवास्तव**),
एडवोकेट/ सदस्य,
अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee)
जौनपुर।

Accessibility Committee

District Court, Jaunpur

(committeeaccessibility@gmail.com)

1. **Chairman** - Name - Mohd. Shariq Siddique (A.D.J.)
   Mobile- 8887150026

2. Member - Name - Vivek Vikram (A.C.J.M.)
   Mobile- 9532992667

3. Member - Name - Amitabh Srivastav (Court Manager)
   Mobile- 9455160123

4. Member - Name - Shyam Lal Saroj (D.S.A.)
   Mobile- 9554707488

5. Member - Name - Girish Kumar Srivastav (Advocate)
   Mobile- 9919667469

(**Mohd. Shariq Siddique**),
A.D.J / Chairman.
Accessibility Committee,
District Court,Jaunpur

31-1-24.

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ
जौनपुर (उ०प्र०)

केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

आदेश

(दिनांक– 18.01.2024 ई0।)

आज दिनांक 18.01.2024 को मेरे विश्राम–कक्ष में अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) की बैठक मेरे विश्राम–कक्ष में आहूत की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त समिति के सदस्यगण श्री विवेक विक्रम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, श्री अमिताभ श्रीवास्तव, कोर्ट मैनेजर श्री श्याम लाल सरोज,डी.एस.ए. तथा श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव,एडवोकेट उपस्थित रहे। उक्त बैठक में सभी सदस्यों द्वारा अपने–अपने सुझाव दिये गये एवं उस पर सम्यक रूप से विचार–विमर्श के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं प्राप्त मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त का अनुपालन करने के लिये एस.ए. / डी.एस.ए. को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें एवं तकनीकी समस्या हेतु सिस्टम आफीसर / सिस्टम सहायक तथा टी0एम0पी0 का सहयोग लिया जावे। उक्त कमेटी हेतु एक ई–मेल पता बनाया जाय तथा अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने हेतु दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर एवं समस्त ग्रामीण न्यायालय के समितियों को सूचना प्रेषित की जाय।

दिनांक– 18.01.2024 ई0।

(**मो0 शारिक सिद्दीकी**),
अपर जिला जज द्वितीय,
जौनपुर।

Sir noted
18.1.24
Sanhita
23/01/24
23/1/2024
23-01-24

प्रेषक,

मौ0 शारिक सिद्दीकी,
अपर जिल जज द्वितीय/
अध्यक्ष,
अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee),
जनपद न्यायालय, जौनपुर।

सेवामें,

अध्यक्ष/मन्त्री,
दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ,
जौनपुर।

विषय– दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर में वकालत व्यवसाय कर रहे विकलांग अधिवक्तागण की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 3551/V-CPC/eCourts दिनांकित 05.01.2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र दिनांकित 06.11.2023 का उल्लेख करते हुये निर्देशित किया है कि प्रत्येक जिला न्यायालयों में एक अभिगम्यता समिति (Accessibility Committee) का गठन किया जाना है जिसके अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने प्रशासकीय आदेश संख्या–25/2024, दिनांकित 09.01.2024 के द्वारा उक्त कमेटी का गठन कर समिति को निर्देशित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जावे।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि न्याय प्रणाली तक पहुँचने में असक्षम अधिवक्तगण की सूची (Database) तैयार किये जाने हेतु बार के ऐसे अधिवक्तागण की सूची (जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों) संलग्न निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ससम्मान।

दिनांकः 20.01.2024ई0।

भवदीय,

संलग्नकः
यथा उपरोक्त।

(**मौ0 शारिक सिद्दीकी**),
अपर जिल जज द्वितीय,

List of Disabled Lawyer Practicing in Concerned Court / Tehsil in Jaunpur District.

S.N.	Name of Advocate	Father's Name	Registration Number	Mobile Number	E-Mail Address
1	Savita Yadav	Ramji Yadav	UP09137/2023	8115077143	sikandaryadavo554@gmail.com
2	Kranti	Nirmal Kumar	UP25156/2023	9569313289	krantikm6@gmail.com
3	Manoj Kumar Yadav	Lal Chand	Applied	7052974005	manojyadavjnp@gmail.com
4	Prakash Chandra	Late Awadh Narain	UP5036/2002	9721775064	
5	Girish Kr. Srivastava				
6					
7					
8					
9					
10	Brijlal Yadav ([illegible])	Ram Shanker Yadav	UP1847/2020	6391935804	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

President/ Secretary
Bar Association.